न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 42/2024

श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. **श्री नरेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी, मैसर्स गणैश जनरल स्टोर, बाईपास मोड़ बड़ागांव, जिला झुन्झुनू।**
2. **श्री मनोज भारद्वाज पुत्र श्री मातादीन शर्मा, मैसर्स मां शाकम्भरी ट्रेडिंग कम्पनी, गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।**
3. **श्री श्याम मुरारी बजाज पुत्र श्री रतन लाल, मैसर्स श्याम एजेन्सी, 80/18, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–

1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदकगण की ओर से ....अनावेदकगण स्वयं।

–निर्णय– दिनांक : 16/8/24

श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है:– कि आवेदक श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 07.11.2023 को मैसर्स गणेश जनरल स्टोर, बाईपास मोड़, बड़ागांव, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता के संस्थान में 500 एमएल पैकिंग में पैक 10 पैकेट घी (Shreemul) आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ घी (Shreemul) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ घी (Shreemul) के सबस्टैण्डर्ड फुड (Sub-Standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) due to presence of foreign fat) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त

रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदकगण ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसका बाईपास मोड़, बड़ागांव जिला झुन्झुनू में मैसर्स गणेश जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ घी (Shreemul) का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनोवदक संख्या 2 से जरिये पक्के बिल खरीदार था तथा अपनी दुकान में साफ–सफाई का पूर्ण ध्यान रखेगा। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण को खारिज किया जावे।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू में मैसर्स मां शाकम्भरी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से कम्पनी है। उसकी कम्पनी से खाद्य पदार्थ घी (Shreemul) का जरिये पक्के बिल बेचान मैसर्स गणेश जनरल स्टोर, बाईपास मोड़, बड़ागांव जिला झुन्झुनू को किया गया था जहां उक्त खाद्य पदार्थ का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनोवदक संख्या 3 श्री श्याम एजेन्सी, 80/18, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर से जरिये पक्के बिल खरीदा था अतः उसके विरूद्ध कम से कम जुर्माना किया जावे।

अनावेदक संख्या 3 का कथन है कि उसकी 80/18, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर में श्री श्याम एजेन्सी के नाम से फर्म है। उसने जरिये पक्के बिल खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 2 को बेचान किया था जो कि सब–स्टेण्डर्ड पाया गया है। अनावेदक संख्या 3 ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ गुजरात की कम्पनी श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड से खरीदा था लेकिन गलती से बिल नही लिया। वर्तमान में उसने उक्त काम बन्द कर दिया है। अतः उसके विरूद्ध कम से कम जुर्माना किया जावे।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./4824/एक्ट/2023/4843 दिनांक 29.11.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (Shreemul) सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) due to presence of foreign fat) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (Shreemul) जरिये पक्के बिल अनोवदक संख्या 2 से जरिये पक्के बिल खरीदा था तथा अनावेदक संख्या 2 ने उक्त खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल अनावेदक संख्या 3 से खरीदा था लेकिन उक्त खाद्य पदार्थ किसी जाने माने ब्रान्ड का नही है यह बात अनावेदक संख्या 1 व 2 दोनों ने जानते हुए भी उक्त खाद्य पदार्थ खरीद कर बेचान किया तथा उक्त खाद्य पदार्थ से होने वाले लाभांश में हिस्सेदार है अतः अनावेदक संख्या 1 व 2

को भी प्रकरण में निर्दोष नही माना जा सकता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी (Shreemul) सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) due to presence of foreign fat) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 1 श्री **नरेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी**, मैसर्स गणेश जनरल स्टोर, बाईपास मोड़, बड़ागांव, जिला झुन्झुनू तथा अनावेदक संख्या 2 **श्री मनोज भारद्वाज पुत्र श्री मातादीन शर्मा**, मैसर्स मां शाकम्भरी ट्रेडिंग कम्पनी, गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में प्रत्येक को 5,000–5,000/–अक्षरे पांच–पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा अनावेदक संख्या 3 श्री श्याम मुरारी बजाज पुत्र श्री रतन लाल, मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, 80/18, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर ने अनावेदक संख्या 2 को उक्त खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल बेचान किया था तथा स्वयं उत्पादक फर्म का बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। अतः प्रकरण में श्री श्याम मुरारी बजाज पुत्र श्री रतन लाल, मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, 80/18, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू